

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-5,

लखनऊ दिनांक: 07 जुलाई, 2020

विशय : कोविड-19 सम्बन्धी एण्टीजन टेस्ट करने के पश्चात सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक परिणामों को पोर्टल पर अपलोड किया जाना।

महोदय,

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.07.2020 (प्रति संलग्न) में रैपिड एण्टीजन टेस्ट के सम्बन्ध में नवीनतम दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं। प्रदेश के 11 जनपदों में जिसमें मेरठ मण्डल के 06 जनपद भी सम्मिलित हैं, रैपिड एण्टीजन टेस्ट का उपयोग किया जा रहा है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एण्टीजन टेस्ट करने के पश्चात सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक परिणामों को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिन लक्षणात्मक व्यक्तियों के परिणाम एण्टीजन टेस्ट से ऋणात्मक प्राप्त होंगे उनके नमूने आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट करने हेतु प्रेषित किये जाएंगे एवं आर0टी0पी0सी0आर0 के परिणाम को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त एण्टीजन टेस्ट में ऋणात्मक आने वाले ऐसे लक्षणात्मक व्यक्ति जो पूर्व में कोविड पॉजिटिव लक्षण वाले किसी व्यक्ति के निकट सम्पर्क में रहे हों, उनके नमूने भी आर0टी0पी0सी0आर0 से टेस्ट कराए जाएंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,



( अमित मोहन प्रसाद )


अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1441 (1)/पांच-5-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
2. निदेशक, संचारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

  
( वेद प्रकाश राय )

अनु सचिव।

1441/यॉच-5-2020



**icmr**  
INDIAN COUNCIL OF  
MEDICAL RESEARCH  
Serving the nation since 1911

**डॉ. जी. एस. टोटेजा**  
अपर महानिदेशक  
**Dr. G. S. Toteja**  
Additional Director General

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद  
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार  
डी. रामलिंगस्वामी भवन, अंसारी नगर नई दिल्ली-110029

**Indian Council of Medical Research**  
Department of Health Research  
Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India  
V. Ramalingaswami Bhawan, Ansari Nagar, New Delhi - 110029


D.O.No.ECD/COVID-19/Misc./2020  
6th July, 2020

Dear Sir/Madam,

This is in continuation to the earlier communication of ICMR and MoH&FW dated 1<sup>st</sup> July 2020 regarding "empowering citizens for testing of SARS-CoV-2".

Please find attached a self-explanatory algorithm for interpreting the test results of the rapid antigen point-of-care test.

With regards


Yours sincerely  
  
(Dr. G.S. Toteja)

Enclosed: As above

All Chief Secretaries (States)/Addl.Chief Secretaries/Secretaries/Commissioners/Principal Secretaries (Health & Family Welfare)


CC:

1. Ms. Preeti Sudan, Secretary, Health & F.W., Nirman Bhawan, New Delhi.
2. Shri Rajesh Bhushan, OSD, Ministry of Health & F.W., Nirman Bhawan, New Delhi.

  
07/07/2020

Tel: (Off.) : 011-26589152, Fax: 011 26588762 Web: : www.icmr.nic.in  
Email : gstotcja.addldg@gmail.com

Algorithm for COVID-19 testing using rapid antigen point-of-care test



- All positive and negative results should be entered into the ICMR portal on a real time basis after performing the antigen test.
- Results of samples subjected to RT-PCR should be entered after the RT-PCR results are available.